


समये च जगते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2902]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2013/पौष 6, 1935

No. 2902]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSHA 6, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3820(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
222	317ए	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-317 पर हासीमारा से प्रारंभ होकर जयगांव को जोड़ते और इण्डो/भूटान सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
223	327बी	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-327 पर पानीटंकी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेची पुल को जोड़ते हुए इण्डो/नेपाल सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/18/2013-पीएणएम]

माया प्रकाश, उप सचिव,

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2517 (अ) तारीख 21 अगस्त, 2013 द्वारा किया गया था ।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3820(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
222	317A	The highway starting from its junction with NH-317 near Hasimara connecting Jaigaon in the State of West Bengal and terminating at Indo/Bhutan Border.
223	327B	The highway starting from its junction with NH-327 near Panitanki connecting Mechi Bridge in the State of West Bengal and terminating at Indo/Nepal border.

[F. No. NH-14012/18/2013-P&M]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 2517 (E), dated 21st August, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3821(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खं० 3, उपखं० (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 33 और 60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
“33	10	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-10 पर इण्डो/बंगलादेश सीमा से प्रारंभ होकर सिवोक, कलिम्पोंग के निकट फुलबारी, सिलीगुडी को जोड़ते हुए और सिक्किम राज्य में गंगटोक पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
60	717	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-17 के साथ बारादीची के अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रारा-27 पर मैनागुडी, चांगराबांध पानी टंकी को जोड़ते हुए इण्डो/बंगलादेश सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।”

[फा. सं. एनएच-14012/18/2013-पीएणएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 2517(अ), तारीख 21.08.2013 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3821(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial numbers 33 and 60, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
“33	10	The highway starting from Indo/Bangladesh border connecting Fulbari, Siliguri in the State of West Bengal connecting Sivok, Kalimpong near NH-10 and terminating at Gangtok in the State of Sikkim.
60	717	The highway starting from its junction with NH-17 near Baradighi connecting NH-27 near Mainaguri, Changrabandha in the State of West Bengal and terminating at Indo/Bangladesh Border.”

[F. No. NH-14012/18/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 2517(E), dated 21st August, 2013.